मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
A Central University under Ministry of Education
Government of India

दिनांक 02.05.2025 को प्रात: 11:30 बजे आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे -

1. प्रो.सैयद नजमुल हसन, **अध्यक्ष**
   प्रोफेसर, विज्ञान संकाय
2. डॉ.शगुफ़्ता परवीन, **सदस्य / संयोजक**
   हिन्दी अधिकारी, हिन्दी प्रकोष्ठ
3. डॉ.अश्वनी, **सदस्य**
   एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
4. डॉ. शाहिद जमाल, **सदस्य**
   सहायक प्रोफेसर, दक्कन अध्ययन केन्द्र

सर्व-प्रथम संयोजक महोदया द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया और बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रो. पठान रहीम खान तथा डॉ.मु.मुस्तफ़ा अली सरवरी बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

बिंदु सं.1. हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा की गई पिछली गतिविधियों का पुनरावलोकन।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हिन्दी अधिकारी(राजभाषा अधिकारी) द्वारा हिन्दी प्रकोष्ठ की पूर्व गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

- सूचित किया गया कि, सभी विभागाध्यक्षों तथा अनुभागाध्यक्षों को विभागों/अनुभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन से संबंधित परिपत्र परिचालित कर दिया गया , तथा अनुरोध किया गया कि हिन्दी पारंगत उत्तीर्ण कर्मचारियों से भी सहायता ली जा सकती है।
- हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की अधिसूचनाएं, आदेशों, सूचनाओं, परिपत्रों, मानक मसौदों आदि को द्विभाषी रूप में तैयार कर समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा है।
- सूचित किया गया कि, हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की हिन्दी वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

बिंदु सं. 2. विश्वविद्यालय के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना।

सदस्यों ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के कार्यान्वयन से अवगत कराने तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के प्रचार-प्रसार के लिए सभी विभागों एवं अनुभागों में संबंधित परिपत्र जारी कर राजभाषा (हिन्दी) के प्रति जागरूक करने का सुझाव दिया तथा इस दिशा में हिन्दी प्राज्ञ तथा पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों द्वारा अपना सहयोग प्रदान किया जाए।

सदस्यों का सुझाव था कि, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय/यूजीसी तथा अन्य संस्थाओं से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में देने का प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा यह नियम का उल्लंघन होगा।

बिंदु सं. 3. शिक्षा मंत्रालय की राजभाषायी निरीक्षण समिति की समीक्षा रिपोर्ट।

सदस्यों द्वारा शिक्षा मंत्रालय की राजभाषायी निरीक्षण समिति रिपोर्ट की समीक्षा की गई तथा निरीक्षण समिति के सुझावों को कार्यान्वित करने पर सहमति व्यक्त की गई।

बिंदु सं.4. तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया गया कि, मार्च, 2025 तक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

बिंदु सं.5. अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कोई भी अन्य मद।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी टंकण और हिन्दी प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों को नामित किया जाए। जिससे की राजभाषा द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

हिन्दी अधिकारी
सदस्य एवं संयोजक
मानू, हैदराबाद